कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– F.3.15(C)/Enlistment Rules/Section-III/D-2028 दिनांक : 14.12.2021

कार्यालय आदेश

लोक निर्माण वितीय एवं लेखा नियम भाग द्वितीय 334 परिशिष्ट XVI के अनुभाग VII के अन्तर्गत "ठेकेदारो के रजिस्ट्रीकरण का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् ठेकेदार स्वयं के द्वारा और विभागीय क्षेत्र अधिकारियो के द्वारा प्रदायित किये जाने वाले कार्य सम्पादन आंकडो के आधार पर पुनर्विलोकन किया जायेगा। कोई ठेकेदार, जिसका कार्य सम्पादन असंतोषप्रद पाया जाये, अपना रजिस्ट्रीकरण रदद् कराने और नाम रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारो की सूची मे सें करवाने के दायित्वाधीन होगा।"

उक्त नियम की पालना में इस कार्यालय मे पंजीकृत सिविल/विद्युत/सेनेट्री/पेन्टिग/फर्नीचर के समस्त श्रेणियों (Class) यथा 'AA, A, S-I, P-I, F-I, E-EWSD- I, E-AC-I, E-FF-I, E-LE-I एवं E-ER-I' मे पंजीकृत संवेदको/फर्मो को नोटिस देने के उपरान्त भी पंजीयन का पुनर्विलोकन नहीं करवाया गया है। ऐसे संवेदक/फर्मो को निर्देशित/सूचित किया जाता है कि दो वर्ष (05.12.2019 तक) पूर्व जारी स्थायी पंजीयन आदेशो को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक पुनर्विलोकन (Review) आवश्यक रूप सें करवा ले। **दिनांक 01.01.2022 से उक्त पंजीयन के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं करवाये जाने की स्थिति में पंजीयन नियम के अनुच्छेद VII.3.vi के तहत सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को पुनर्विलोकन नहीं कराये जाने तक निविदाओ मे भाग लेने से वंचित किया जाता है।**

14/12/2021
(संजीव माथुर)
मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार,राजस्थान,जयपुर।
2. मुख्य अभियंता,सिंचाई/जन–स्वास्थ्य अभि. विभाग/भू–जल विभाग, जोधपुर।
3. मुख्य अभियंता(सिविल) राज.राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
5. आवासन आयुक्त,राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर।
6. प्रबन्धक निदेशक,आर.एस.आर.डी.सी.सी.लि.,जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
8. अति.मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. संभाग/विद्युत संभाग..................(समस्त)
9. तकनीकी सहायक प्रथम/ अधीक्षण अभियंता(भवन/पथ/रारा मार्ग/ई–टेंडरिंग, मु.अ. कार्यालय, सा.नि.वि. जयपुर।
10. अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत/विद्युत/रा.रा.उ.मार्ग.........................(समस्त)
11. संयुक्त निदेशक, IT, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
12. जन सम्पर्क अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने हेतु
13. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड/विद्युत/रा.रा.उ.मार्ग.........................(समस्त)
14. बिल्डर एसोसिएशन/संवेदक यूनियन सिविल/विद्युत, जयपुर/समस्त संभाग/जिला मुख्यालय को सूचनार्थ भेजकर आग्रह है कि सम्बन्धित संवेदकों को पुनर्विलोकन हेतु आवश्यक दस्तावेज सम्बन्धित पंजीयन प्राधिकारी के कार्यालय में नियत तिथि से पूर्व प्रस्तुत कराये जाने हेतु निर्देशित/सूचित करने का श्रम करें।
15. मैसर्स ....

14/12/21
(सुरेश चन्द पारीक)
अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।